मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 04.09.2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या से सम्बन्धित अपराध में 04 अभियुक्तों को करायी गयी 10-10 वर्ष की कारावास और प्रत्येक को ₹ 15-15 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी "राम कुमार" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनंदन" द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट ,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन ,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना अदलहाट पर दहेज हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश , मीरजापुर द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से सम्बंधित 04 अभियुक्तों को आज दिनांकः 04.09.2023 को दण्डित करते हुए 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास और प्रत्येक को ₹ 15-15 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांकः 22.01.2017 को थाना अदलहाट पर वादी सल्लाउद्दीन पुत्र स्व0 शेख बसीर निवासी ग्राम किड़िहरा थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर हत्या के सम्बंध में लिखित तहरीर दी गई थी। जिसके आधार पर थाना अदलहाट पर मु0अ0सं0-64/2017 धारा 498ए , 304बी भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनंदन" द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत उक्त दहेज हत्या की घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायधीर , मीरजापुर द्वारा अन्तर्गत धारा 304बी, 498ए भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट में दोषी पायें जाने पर 04 अभियुक्तों 1. महफूज उर्फ शेरू पुत्र मुस्लिम उर्फ भोला 2. मुस्लिम उर्फ भोला पुत्र स्व0 लियाकत 3. सोनी उर्फ शमा पुत्री मुस्लिम उर्फ भोला 4. रोजी उर्फ शबनम आरा पुत्री मुस्लिम उर्फ भोला निवासीगण देवलासी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास और प्रत्येक को ₹ 15-15 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

1. महफूज उर्फ शेरू पुत्र मुस्लिम उर्फ भोला निवासी देवलासी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
2. मुस्लिम उर्फ भोला पुत्र स्व0 लियाकत निवासी देवलासी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
3. सोनी उर्फ शमा पुत्री मुस्लिम उर्फ भोला निवासी देवलासी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
4. रोजी उर्फ शबनम आरा पुत्री मुस्लिम उर्फ भोला निवासी देवलासी थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।